





अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील वाद सं०-०७/२०२०-२१ के आदेश दिनांक-१४.०९.२०२१ को निरस्त किया जाता है एवं अभिलेख पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त  
गोड्डा २१/११/२१

  
उपायुक्त  
गोड्डा २१/११/२१

समाहर्ता, गोड्डा  
जिला विधि शाखा, गोड्डा

सं० क्र०:- ८१

दि०-२३.११.२३

प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गोड्डा को उनके कार्यालय का  
सुदेशन अपील वाद सं०-०७/२०-२१  
(सं० सुदामा vs सफनाबाय)  
पास गान) मूल अभिलेख के  
साथ सुचना के त्वे सं० १२५६  
का सं० ११६ हेतु भेजा।  
सुदेशन-पदावत।

  
प्रभाष प्रसाधिकारी  
जिला विधि शाखा  
२१/११/२३ गोड्डा